राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स न. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक:भूमि/एफ.7(ड)(397)/डीएलबी/16/ 5662 दिनांक :– 16/10/2017

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका,
तिजारा (अलवर)।

विषय: –तिजारा मुख्यालय पर कार्यरत न्यायालयों/कार्यालयों व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु 10,000 वर्गमीटर (4 बीघा) भूमि आवंटन की स्वीकृति बाबत।

प्रसंग: –आपका पत्र सं. 523 दिनांक 24.05.17

उपरोक्त विषयन्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तिजारा द्वारा तिजारा में चल रहे विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधीशों के आवासों एवं अभियोजन कार्यालयों तथा बार ऐसोशियेशन हेतु 6 बीघा भूमि की मांग किये जाने पर पालिका मण्डल की बैठक दिनांक 22.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 1 में लिये गये निर्णय के क्रम में खसरा नं0 1000 में से 4 बीघा भूमि निशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

नगर पालिका मण्डल की बैठक दिनांक 22.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 1 में वर्तमान न्यायालय भवनों सहित ग्रामीण न्यायालय एवं बार चैम्बर की भूमि व भवन को नवीन न्यायालय भवन निर्माण एवं समस्त मूलभूत सुविधाओं के निर्माण पश्चात् नगर पालिका तिजारा को हस्तान्तरित की शर्त पर खसरा नं0 1000 में से 4 बीघा भूमि निशुल्क आवंटन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मण्डल के निर्णयानुसार भूमि हस्तान्तरण बाबत जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर द्वारा अपनी सहमती प्रदान की जा चुकी है।

अतः राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 18(2) के एवं भू–आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर पालिका, तिजारा के प्रस्तावानुसार पालिका मण्डल की बैठक दिनांक 22.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 1 में लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये तिजारा मुख्यालय पर कार्यरत न्यायालयों/कार्यालयों व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के आवास निर्माण एवं अभियोजन कार्यालयों तथा बार ऐसोशियेशन हेतु पालिका के खसरा नं0 1000 राजस्व ग्राम तिजारा में से 4 बीघा (10,000) वर्गमीटर भूमि निशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:भूमि/एफ.7(ड)(397)/डीएलबी/16/ दिनांक :–

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अलवर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, तिजारा।
5. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक